



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकर्म)

U. P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 31-अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2022-प्रोन्नति(02ब)/2022-23

दिनांक: 18 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम/SAP ID/ अभिज्ञान सं0/जन्मतिथि/ से0नि0 तिथि/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती कार्यालय/निगम	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आशीष कुमार अग्रवाल/110004988/ 2013023/10.04.1976/30.04.2036/ मुरादाबाद।	सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, प0वि0वि0नि0लि0, रामपुर।	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0।

2- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी ने कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर लिया है।

3- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2900-प्रशि0-10/पाकालि दिनांक 23.12.2003 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

4- उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

5- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में, कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

6- उपरोक्त प्रोन्नति आदेश मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं0-4274/2022, आशुतोष कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।

अध्यक्ष

संख्या: 31 (1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, वाराणसी/मध्यांचल, लखनऊ/दक्षिणांचल, आगरा/पश्चिमांचल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
- 3- अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0द्रा0का0लि0।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 7- उप सचिव, ज0श0 प्रशि0 एवं प्रशा0सु0/गोपन/अ0प्र0-(03/04)/अ0प्र0-07 उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,


(सदानन्द)
उप सचिव
Low